संख्या-69 /2020/4198 /71-2-2020-02/2018 टी0सी0

प्रेषक,

आनन्द कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 20 नवम्बर, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में संस्थान के गैर वेतन मद मद मे अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- डीआईआर/सीआई/02/ 83/ 2020, दिनांक 27-10-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में संस्थान के गैर वेतन मद मे आवंटित धनराशि के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है। शासनादेश संख्या-40/2020/855/71-2-20-02/2018, दिनांक 08 अप्रैल, 2020 द्वारा संस्थान के अन्य आवश्यक व्ययों के वहन हेतु गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेष हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष मे लेखा शीर्ष " 2210-05-105-03-0308- कैंसर संस्थान-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए निदेशक, कैंसर संस्थान के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तवित आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/ 2020, दिनांक 24.03.2020 एवं शासनादेश दिनांक 11.04.2020 तथा 18.05.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

7- धनराशि को कोषागार से सम्बन्धित संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-3/ 1088 /दस-2020, दिनांक 20 नवम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-96/2020 /4198(1)/71-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दिवतीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in